कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे / गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक– 59 / 2020
आर.बी.ई. सं.– निल
पत्र सं ई / 6 / 4 / 1 / चार

दिनांक 06-11-2020

सचिव / महाप्रबन्धक
सचिव / अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी / स्थापना

विषय :– स्कूटर / कम्प्यूटर अग्रिम के मद में लिए गए अग्रिम के ब्याज कटौती करने के सम्बन्ध में ।

....

महाप्रबन्धक / सतर्कता / पूर्वोत्तर रेलवे / गोरखपुर के पत्र सं. जेड / 13 / वी.4 / 2019 / 05 / 02400 / पी.सी. दिनांक 01.08.2019 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक / यथोपरि

6.11.20

(प्रदीप कुमार)
वकाधि / मुख्यालय
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित :–
1) महामंत्री / एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन / गोरखपुर ।
2) महामंत्री / प्रमोटी अधिकारी संघ / पूर्वोत्तर रेलवे / गोरखपुर ।
3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ / गोरखपुर ।
4) महामंत्री / एस.सी. / एस.टी. एवं ओबीसी एशोसियेशन / गोरखपुर ।

कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

"गोपनीय"
CONFIDENTIAL

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

JAS-ANZ

ISO 9001:2008 Quality Management System
Cert. No. 8047

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
गोरखपुर – 273012
(ISO 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)
Office of the General Manager (Vig)
Gorakhpur - 273012
(ISO 9001: 2008 Certified Organisation)

सं. जोड / 13 / बी.4 / 2019 / 05 / 02400 / पी.सी/ 48, 49, 50, 1142 दिनांक: 01 .08.2019

(1) प्रमुख वित्त सलाहकार
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।

(2) प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।

(2) मंडल रेल प्रबन्धक
पूउरे / लखनऊ, इज्जतनगर
एवं वाराणसी

विषय :– स्कूटर / कम्प्यूटर अग्रिम के मद में लिए गए अग्रिम के ब्याज कटौती करने के सम्बन्ध में ।

रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित Thrust Areas–2019 के आलोक मे एक सतर्कता निवारक जाच में यह संज्ञान में आया है कि कर्मचारियों द्वारा स्कूटर / कम्प्यूटर आदि अग्रिम के मूलधन की कटौती के बाद गणना शीट तैयार कराकर लेखा विभाग से गणना शीट की विधिक्षा समय से नहीं कराया जा रहा है, जिससे वर्तमान समय में आई.पास में ब्याज एवं पैनल इन्टरेस्ट के मद में बकाया प्रदर्शित हो रहा है । कार्मिक एवं लेखा विभाग द्वारा इसकी मानिटरिंग सही ढग से नहीं की जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करना चाहे कि ऐसे कर्मचारियों जो पूर्व में स्कूटर / कम्प्यूटर एडवान्स आदि लिए हो और उनके मूलधन की कटौती पूर्ण हो गयी हो, की सूची तैयार कर गणना शीट लेखा विभाग से विधिक्षित कराते हुए ब्याज एवं पैनल इन्टरेस्ट की बकाया धनराशि की कटौती करना सुनिश्चित करे । लेखा विभाग आई पास में अपना सस्पेन्स क्लीयर करना सुनिश्चित करे तथा कार्मिक एवं लेखा विभाग द्वारा नियमित मानिटरिंग सुनिश्चित किया जाय, ताकि भविष्य मे किसी प्रकार की अनियमितता एवं रेल राजस्व की हानि से बचा जा सके ।

01.8.19

(डा0 आर. के. भारती)
उप मुसताधि. / लेखा
कृते महाप्रबन्धक / सतर्कता